

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू


(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुद्रा नं. : 380/2024

सुरेश सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह वगै०


की ओर से एडवोकेट रविराज तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट अमित कुमार महर्षि की स्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.07.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया कर राजस्व ग्राम चिंचडोली तहसील झुंझुनू की सरहद में स्थित वर्तमान खाता सं. 128 में हाल भूमि सरा नंबर 630 रकबा 0.96 है०, खसरा नं. 633 रकबा 0.97 है०, खसरा नं. 476 रकबा 3.62 है० व खसरा 477 रकबा 0.11 है० कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। भाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

वादी डिक्री आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
झुंझुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	1000	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	1
योग	1006	योग	


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
झुंझुनू (राज.)